भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1376
दिनांक 11 फरवरी, 2025/ 22 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

मृत्युदंड

†1376. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में 31 दिसंबर, 2024 तक राज्यवार कितने दोषसिद्ध व्यक्तियों के मृत्युदंड के मामले में फांसी की सजा अभी भी लंबित है; और
(ख) संबंधित प्राधिकारी के समक्ष दया याचिका के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख): : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, 31 दिसंबर, 2022 तक जेलों में मृत्युदंड पाए हुए दोषियों की संख्या का राज्य-वार विवरण परिशिष्ट-। पर है। मृत्युदंड के लिए दोषी व्यक्तियों की संख्या से संबंधित विवरण जिनका निष्पादन अभी भी लंबित है और संबंधित प्राधिकारी को दया याचिका के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की संख्या के विवरण केंद्रीय स्तर पर संकलित नहीं किया जाता हैं।

****

लोक सभा अता. प्र.सं. 1376 दिनांक 11.02.2025

परिशिष्ट-I

दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक जेलों में मृत्युदंड की सजा पाने वाले दोषियों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार संख्या

क्र.सं.	**राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश**	**मृत्यु दण्ड की सजा पने वाले दोषियों की संख्या**
(1)	(2)	(3)
1.	आंध्र प्रदेश	15
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	9
4.	बिहार	27
5.	छत्तीसगढ़	9
6.	गोवा	0
7.	गुजरात	49
8.	हरयाणा	21
9.	हिमाचल प्रदेश	3
10	झारखण्ड	45
11.	कर्नाटक	32
12.	केरल	19
13.	मध्य प्रदेश	39
14.	महाराष्ट्र	45
15.	मणिपुर	3
16.	मेघालय	0
17.	मिजोरम	0
18.	नागालैंड	0
19.	ओडिशा	13
20.	पंजाब	10
21.	राजस्थान	20
22.	सिक्किम	0
23.	तमिलनाडु	14
24.	तेलंगाना	9
25.	त्रिपुरा	4
26.	उतार प्रदेश	95
27.	उत्तराखंड	20
28.	पश्चिम बंगाल	26
	कुल (राज्य)	527
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	0
30.	चंडीगढ़	0
31.	डीएनएच और दमन दीव	0
32.	दिल्ली	9
33.	जम्मू और कश्मीर	8
34.	लद्दाख	0
35.	लक्षद्वीप	0
36.	पुदुचेरी	0
	कुल (केंद्रशासित प्रदेश)	17
	कुल (अखिल भारतीय)	544

राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार।